कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

क्रमांक.......123/नाजिर/विविध/2016 देवास,दिनांक 22 मार्च,2016

::द्वितीय आमन्त्रण::

:: घोष विक्रय विज्ञप्ति ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के निम्नांकित अनुपयोगी फर्नीचर जहाँ पर जिस स्थिति में है घोष विक्रय (नीलामी) द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग के समक्ष दिनांक 12-04-2016 को दोपहर 12.30 बजे किया जाना है। जिस किसी को उक्त घोष विक्रय में उपस्थित होना हो वह निर्धारित शर्तो के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है ।

// सम्पत्ति का विवरण //

फर्नीचर

क्र.	फर्नीचर का प्रकार	संख्या	अपसेट मूल्य
1-	चौकोर पाइप क्लर्क कुर्सियाँ	25	1,250/-
2-	लकड़ी की केन वाली क्लर्क कुर्सियाँ	7	210/-
3-	एस. टाइप कुर्सियाँ	35	1,750/-
4-	विजिटिंग चेयर्स	15	450/-
5-	जजेस चेयर्स स्टील	13	650/-
6-	जजेस चेयर्स लकड़ी	2	60/-
7-	बेंच लोहे की व प्लास्टिक की सीट लगी टूटी हुई	6	600/-
8-	टेबल का लोहे का फ्रेम	1	120/-

// सम्पत्ति का विवरण //

कूलर्स

1-	कूलर्स	24नग	7,250/-

1- नीलामी कार्यवाही द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्रभारी अधिकारी नजारत के द्वारा संचालित की जाएगी।

2— नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी से पूर्व 1,000/—1,000/—रूपये(फर्नीचर व कूलर्स के लिए पृथक—पृथक)अमानत राशि के रूप में नकद जमा करना होंगे।नीलामी समाप्त होने के पश्चात सफल बोलीदार को छोड़कर शेष की जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

3— अमानत राशि अग्रिम कार्यालय की नाजिर शाखा में दोपहर 12 बजे तक ही जमा की जाएगी।

4— फर्नीचर व कुलर्स की नीलामी समाप्त होने पर बोले लगाने वाले व्यक्ति को बोली की आधी राशि तत्काल जमा करना होगी तथा नीलामी के अनुमोदन उपरांत एक सप्ताह के भीतर शेष राशि नजारत शाखा में जमा कर फर्नीचर/कूलर्स उठाना होगा । नियत समयावधि में राशि जमा नहीं करने की दशा में जमा की गई राशि राजसात कर ली जाएगी।

5— जिला एवं सत्र न्यायाधीश को किसी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताए रोकने का अधिकार होगा।

6— घोष विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का होगा जो सर्वमान्य होगा।

7— बोली स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

8— खरीददार स्वयं अपने व्यय पर फर्नीचर/कुलर्स उठायेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

9— उपरोक्त फर्नीचर/कुलर्सजिला एवं सत्र न्यायालय भवन परिसर, देवास में रखा हुआ है, क्रेता नीलामी के पूर्व कार्यालयीन समय में कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)